भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. ईसीआई/प्रेनो/**50**/**2017** दिनांक: **28** जून, **2017**

प्रेस नोट

निर्वाचन पर न्यायिक समिति वाले केन्याई प्रतिनिधिमंडल का भारत निर्वाचन आयोग का दौरा

माननीय जस्टिल पॉल किहारा करियुकी, केन्या में अपीलीय न्यायालय के अध्यक्ष की अगुवाई में केन्या में निर्वाचनों पर न्यायिक समिति(जेसीई) से **12** सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें माननीय जस्टिस डेविड मजान्जा, उपाध्यक्ष, जेसीई; माननीय जस्टिस स्मोकिन वंजाला, जज, सुप्रीम कोर्ट, केन्या और माननीय जस्टिस रिचर्ड मवॉगो, मुख्य जज, हाईकोर्ट ऑफ केन्या तथा जेसीई के अन्य अधिकारियों ने आज भारत निर्वाचन आयोग का दौरा किया। भारत में केन्या की उच्चायुक्त एच.ई.श्रीमती फ्लोरेंस इमिसा वेचे भी प्रतिनिधिमंडल के साथ थीं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य केन्या में साधारण निर्वाचन अगस्त, **2017** की तैयारी में भारत के निर्वाचन संबंधी विवादों के समाधान तंत्र तथा कार्यप्रणाली की पद्धति और विधायी एवं प्रशासनिक ढांचे के संबंध में जानकारी लेना था। यह प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन आयुक्त डा० नसीम ज़ैदी और निर्वाचन आयुक्त श्री ए.के.जोति और निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी.रावत से मिला।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त डा० नसीम ज़ैदी ने अपने स्वागत भाषण में अफ्रीका और भारत के बीच चिरकालीन और मजबूत संबंध का हवाला दिया, उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा अफ्रीका में उनके अस्थायी निवास के दौरान बनाए गए संबंधों का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और इंडीपेडेंट इलेक्शन और बांउड्रिज़ कमीशन(आईईबीसी) ऑफ केन्या के मध्य घनिष्ठ सहयोग के संबंध में भी बात की। उन्होंने केन्या के प्रतिनिधि मंडल को सांविधिक उपबंध और निर्वाचन प्रबंधन में ईसीआई को भारत में न्यायपालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए महत्वपूर्ण सहयोग के संबंध में विवरण दिया। उन्होंने अनुभव और कार्यनिपुणता के सतत विनिमय के माध्यम से आईईबीसी के साथ सहयोग को और सुदृढ़ करने की ईसीआई की इच्छा अभिव्यक्त की।

निर्वाचन आयुक्त श्री ए.के.जोति ने अपनी स्वागत टिप्पणी में भारत और केन्या के मध्य निकट संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने इस संबंध में भी उल्लेख किया कि विवादों का समाधान हमारे निर्वाचन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसमें न्यायपालिका एक सक्रिय भागीदार है। उन्होंने दौरे पर आने वाले प्रतिनिधिमंडल को भारतीय निर्वाचनों के प्रबंधन में ईसीआई द्वारा आरंभ की गई पहल और नवोन्मेषों के संबंध में बताया जिसमें वर्ष **1950** के वर्षों में मैनुअल रूप से मतपत्र डालने से लेकर पिछले तीस वर्ष से अधिक से भारत में प्रयोग की जा रही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों**(**ईवीएम**)** और वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल**(**वीवीपीएटी**)** को आरंभ करने संबंधी उल्लेख भी था। उन्होंने निर्वाचनों में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि पिछले कुछ दशकों के दौरान ईवीएम का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है और उनकी विश्वसनीयता, प्रमाणिकता और नियमितता को संदेह से परे बताया।

निर्वाचन आयुक्त, श्री ओ.पी.रावत ने अपनी स्वागत टिप्पणी में भारत और केन्या में निर्वाचक प्रणाली के बीच समानताओं और अंतर के बारे में बताया। श्री रावत ने केन्या की तरफ से किए गए प्रयासों की भी विवेचना की। श्री रावत ने केन्या की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और केन्याई निर्वाचनों में उनके द्वारा की गई बेहतर प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं के कारण निर्वाचकीय हिंसा को दूर करने में उनकी सफलता की प्रशंसा की, ये ऐसे उपाय थे जिनको ईसीआई ने भारतीय निर्वाचनों को हिंसा को दूर करने में उनकी सफलता की प्रशंसा की, ये ऐसे उपाय थे जिनको ईसीआई ने भारतीय निर्वाचनों को हिंसा और विवाद मुक्त रखने के लिए भारतीय निर्वाचनों में सर्वदा कार्यान्वित किया था। उन्होंने इस संबंध में भी उल्लेख किया कि संविधान के अनुच्छेद **329** के अनुसार भारतीय न्यायालय निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और निर्वाचनों के दौरान विवादों का समाधान ईसीआई द्वारा ही किया जाता है।

अपने स्वागत भाषण में श्री उमेश सिन्हा, उप निर्वाचन आयुक्त ने जेसीई प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि ईसीआई और आईईबीसी के मध्य अच्छे द्विपक्षीय संबंध हैं और विगत में दोनों तरफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने नियमित तौर पर एक दूसरे देशों के दौरे किए हैं। उन्होंने श्री अहमद इस्साक हसन, पूर्व अध्यक्ष, आईईबीसी और राष्टमंडल में निर्वाचकीय लोकतन्त्र पर कैम्ब्रिज कांफ्रेस के सलाहकार की **19-23** जून, **2017** से दक्षिण एशियाई देशों से निर्वाचन अधिकारियों के लिए आईआईडीईएम द्वारा संचालित 'मतदाता शिक्षा' पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 'विजिटिंग फैकल्टी' के रूप में हाल ही के दौरे का हवाला दिया। बाद में उन्होंने केन्याई प्रतिनिधि मंडल को विश्व में सबसे बड़ी निर्वाचन प्रक्रिया के प्रबंधन में ईसीआई के कार्य, भूमिका और ढांचे के बारे में पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया।

श्री एस.के.मेंदीरत्ता, विधिक सलाहकार ने भारत में विवाद समाधान तंत्र के स्थान पर विधिक ढांचे के बारे में केन्याई प्रतिनिधिमंडल को बताया। इसके बाद प्रश्न-उत्तर सत्र हुआ जिसमें जेसीई प्रतिनिधिमंडल ने लैंगिक समानता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त/निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, मतदाता टर्नआउट, मीडिया की भूमिका इत्यादि से संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। केन्याई प्रतिनिधिमंडल स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय निर्वाचनों में विगत कई दशकों से लगातार ईसीआई द्वारा प्राप्त की गई सफलता से पूर्णत: प्रभावित दिखा और उन्होंने आयोग को अपना आभार जताने के साथ-साथ उनके लाभार्थ आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई संपूर्ण ब्रीफिंग उपलब्ध कराने में लगाए गए समय और प्रयासों की सराहना की।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक